



कार्यालय— भंडार क्रय अधिकारी  
उ० प्र० पं० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय  
एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा—281001

### नीलामी की सूचना

विश्वविद्यालय परिसर मे निष्प्रयोज्य वाहनों (एम्बेसेडर कार मॉडल वर्ष 2009 एवं एम्बूलेन्स मॉडल वर्ष 2002) की नीलामी बिकी/खुली बोली के माध्यम से परिवहन विभाग, दुवासु मथुरा पर समिति के समक्ष दिनांक 07.11.2022 को दोपहर 01:00 बजे होना प्रस्तावित है। नीलामी के प्रपत्र (नियम व शर्तों सहित) किसी भी कार्य दिवस मे नीलामी की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक कार्यालय समय मे रु0 1000/- की डी0डी0 (Finance Officer Veterinary University, Mathura) के रूप मे भण्डार क्रय कार्यालय मे जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। नीलामी प्रपत्र क्रय करते समय आधार कार्ड एवं पैन कार्ड नं० की प्रति आवेदक को जमा करना अनिवार्य है। बिना कोई कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी महोदय को होगा।

**भण्डार क्रय अधिकारी**



## कार्यालयः—भण्डार क्रय अधिकारी

उ० प्र० प० दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय  
एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा—281001

### नीलामी प्रपत्र

- 1— नीलामीदाता का नाम \_\_\_\_\_
- 2— पता \_\_\_\_\_
- 3— फोन नं० \_\_\_\_\_
- 4— घरोहर धनराशि का विवरण (एफ०डी०आर०) \_\_\_\_\_
- 5— आयकर पैन नं० \_\_\_\_\_

### नीलामी की शर्तें

- 1— नीलामी मे सम्मिलित होने वाले बोली दाताओं/ठेकेदारों को रु० 10000/- एफ०डी०आर० (Finance Officer, Veterinary University, Mathura) के रूप मे कार्यालय मे जमा करना होगा तभी नीलामी मे बोलने का अधिकार होगा । अंतिम बोलीदाता को छोड़कर एफ०डी०आर० (घरोहर राशि) को नीलामी के उपरान्त वापस की दी जायेगी ।
- 2— नीलामी की अंतिम बोली लगाने वाले बोलीदाता/ठेकेदार को नीलामी धनराशि का 50 प्रतिशत तुरन्त जमा करना होगा तथा शेष धनराशि मा० कुलपति महोदय से स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह मे जमा करना होगा ।
- 3— नीलामीदाता को यदि आयकर एवं व्यापार कर का निर्धारित कोई टेक्स देय होगा तो नियमानुसार नीलामी धनराशि के अतिरिक्त जमा करना होगा ।
- 4— नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय मे निहित होगा ।
- 5— नीलामी हेतु शर्तें सहित आवेदन प्रपत्र रु० 1000/- का डी०डी० (Finance Officer, Veterinary University, Mathura) के रूप मे भण्डार क्रय कार्यालय मे जमा कर नीलामी से एक सप्ताह पूर्व किसी भी कार्य दिवस मे प्राप्त किया जा सकता है ।
- 6— नीलामी प्रपत्र क्रय करते समय आवेदक को आधार कार्ड एवं पैन कार्ड नं० की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । इसके बिना नीलामी प्रपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा ।